रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2011/वैशाख 7, 1933
No. 83] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2011/VAISAKHA 7, 1933

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 19 अप्रैल, 2011

सं. टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस.—भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए निदेश के अनुपालन में और "महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए मार्गदर्शिका, 2004" के खंड 1.2 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, 31 मार्च, 2005 के आदेश सं. टीएएमपी/23/2003-डब्ल्यूएस द्वारा अधिसूचित "महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए मार्गदर्शिका, 2004" की वैधता को विस्तारित करता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस

आदेश

(अप्रैल, 2011 के 18वें दिन पारित)

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नीति निर्देशों के अनुपालन में इस प्राधिकरण द्वारा 31 मार्च, 2005 को राजपत्र सं. 39 के द्वारा भारत के राजपत्र में "महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए मार्गदर्शिका, 2004" अधिसूचित की गई थी । ये मार्गदर्शिका 31 मार्च, 2005 से प्रभावी हुए थे और मार्गदर्शिका के खंड 1.2 में यथाविनिर्दिष्ट, 5 वर्षों की अवधि तक अर्थात् 31 मार्च, 2010 तक प्रभावी रहेंगे, जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा पहले समीक्षा नहीं की जाती अथवा इन्हें विस्तारित नहीं किया जाता है ।

2. भारत सरकार के पोत मंत्रालय की सलाह के अनुसार "महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए मार्गदर्शिका, 2004" की वैधता को इस प्राधिकरण द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश पारित होने तक, जो भी पहले हो, आदेश सं. टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस दिनांक 7 अप्रैल, 2010 द्वारा विस्तारित किया गया था । यह आदेश राजपत्र सं. 104 के माध्यम से भारत के राजपत्र में दिनांक 16 अप्रैल, 2010 को प्रकाशित हो चुका है ।

3. भारत सरकार के पोत मंत्रालय ने अपने पत्र सं. टीआर-14019/20/2009-पीजी दिनांक 15 अप्रैल, 2011 के द्वारा इस प्राधिकरण को सलाह दी है कि "महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए मार्गदर्शिका, 2004" की वैधता को और एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश पारित होने तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित किया जाए ।

4. तदनुसार "महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए मार्गदर्शिका, 2004" की वैधता को 31 मार्च, 2011 से आगे एक वर्ष की अवधि तक अथवा अगले आदेश पारित होने तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित किया जाता है ।

रानी जाधव, अध्यक्षा
[विज्ञापन III/4/143/11-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th April, 2011

No. TAMP/21/2009-WS.—In compliance of the direction issued by the Government of India in Ministry of Shipping and in exercise of the powers conferred under clause 1.2 of the "Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004", the Tariff Authority for Major Ports hereby further extends the validity of the "Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004" notified *vide* Order No. TAMP/23/2003-WS on 31st March, 2005, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

No. TAMP/21/2009-WS

ORDER

(Passed on this 18th day of April, 2011)

The "Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004" were notified in the Gazette of India on 31st March, 2005 *vide* Gazette No. 39 by this Authority in compliance of policy directions issued by the Government of India under Section 111 of the Major Port Trusts' Act, 1963. These guidelines came into effect from 31st March, 2005 and as stipulated in clause 1.2 of the guidelines, will remain in force for a period of 5 years, i.e. up to 31st March 2010, unless reviewed earlier or extended, by this Authority.

2. As advised by the Government of India in Ministry of Shipping this Authority extended the validity of the "Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004" for a period of one year or until further orders, whichever is earlier *vide* Order No. TAMP/21/2009-WS dated 7th April, 2010. This Order has been published in the Gazette of India on 16th April, 2010 *vide* Gazette 104.

3. The Government of India in Ministry of Shipping has now, *vide* its letter No. PR-14019/20/2009-PG dated 15th April, 2011, advised this Authority to further extend the validity of the "Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004" for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

4. Accordingly, the validity of the "Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004" is further extended for a period of one year from 31st March, 2011 or until further orders whichever is earlier.

RANI JADHAV, Chairperson

[ADVT. III/4/143/11-Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.